बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सं0सं0–1 / विविध–26 / 2026– 454(1) / स्वा0, पटना, दिनांक–30 / 04 / 2026

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD), एक आजीवन चलने वाली न्यूरो–डेवलपमेंटल अवस्था (मस्तिष्क विकास संबंधी स्थिति) है जो संचार, सामाजिक मेलजोल, व्यवहार और सीखने की क्षमताओं को प्रभावित करती है।

2– ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्य अन्तर्गत राज्य के बच्चों में ऑटिज्म एवं समरूप लक्षणों की स्क्रीनिंग के लिए प्रखण्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सुदृढ़ व्यवस्था करते हुए पटना में ऑटिज्म के लिए प्रारंभिक निदान, थेरैपी, प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु अत्याधुनिक "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" की स्थापना की आवश्यकता है।

3– ऑटिज्म हेतु "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है। पटना के गर्दनीबाग में, पटना मास्टर प्लान, 2031 के तहत मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण हेतु 4.55 एकड़ भूमि कर्णांकित है, जिस पर ऑटिज्म हेतु "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। उक्त चिन्हित भूमि की चौहद्दी निम्नवत् है :– उत्तर– सड़क, दक्षिण–वाटर टैंक की भूमि, रास्ता, खाली भूखण्ड व निर्माणाधीन सिविल सर्जन कार्यालय, पूरब–रास्ता तथा पश्चिम–सड़क। उक्त भूमि पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–2666, दिनांक–18.03.2026 द्वारा विभागीय सहमति दी गई है।

4– "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" के निर्माण हेतु न्यूनतम मूलभूत आधारभूत संरचना का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। न्यूनतम मूलभूत संरचना का निर्धारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जायेगा एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत योजना की स्वीकृति दी जायेगी। इसका संचालन लोक निजी भागीदारी के तहत कराया जायेगा। इसके लिए ऑटिज्म के क्षेत्र में विशिष्ट / अतिविशिष्ट कार्य करने वाले देश के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान से विभाग द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किया जायेगा। प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा विभाग द्वारा एक विशेषज्ञ समिति से कराते हुए उत्कृष्ट संस्थान का चयन सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत किया जायेगा। चयनित संस्थान को उक्त "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" के संचालन हेतु निम्न शर्त्तों पर प्राधिकृत किया जायेगा :–

(i) ऑटिज्म के "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" के निर्माण हेतु नामांकित संस्थान को राज्य सरकार द्वारा आवश्यक न्यूनतम मूलभूत संरचना के साथ भूमि उपलब्ध कराई जायेगी। "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" के संचालन की पूर्ण जिम्मेवारी नामांकित संस्थान की होगी। इस हेतु आवश्यक मानव बल (स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपसी सहमति से निर्धारित) की व्यवस्था संबंधित संस्थान द्वारा की जायेगी।

(ii) पटना मास्टर प्लान, 2031 के तहत गर्दनीबाग में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण हेतु कर्णांकित भूमि जनमानस को होने वाले लाभ को दृष्टिगत रखते हुए, नामांकित संस्थान को एक रुपये मात्र की टोकन राशि पर, 33 (तेंतीस) वर्षों के लिए लीज पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) नामांकित संस्थान द्वारा अपने खर्च पर "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" में अतिरिक्त आधारभूत संरचना विकसित की जा सकेगी।

(iv) ऑटिज्म के क्षेत्र में चिकित्सा एवं प्रबंधन हेतु राज्य के चिकित्सा कर्मियों के क्षमतावर्धन में संस्थान द्वारा सहयोग किया जाएगा। संस्थान में चिकित्सा हेतु आने वाले बच्चों/व्यक्तियों में से 25 प्रतिशत की चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित राशि पर की जायेगी। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा समुचित रेफरल व्यवस्था विकसित की जायेगी।

(v) ख्यातिप्राप्त संस्थान का चयन किये जाने एवं इस कार्य में अनुमानित व्यय की गणना के साथ पुनः बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के परिशिष्ट–16 के आलोक में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा।

5– अतः उपरोक्त के आलोक में राज्य में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों/व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु पटना मास्टर प्लान, 2031 के तहत गर्दनीबाग में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए कर्णांकित भूमि पर "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" की स्थापना एवं "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" के संचालन हेतु, नामांकन के आधार पर, देश के राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त संस्थानों में से उत्कृष्ट संस्थान के चयन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6– प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–29.04.2026 के मद संख्या–12 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

30/4/26

(दिनेश कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–26/2026– 454(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 30/04/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र (गजट) के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः:– विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–29.04.2026 के मद संख्या–12 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि::– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/निदेशक, सभी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/4/26

सरकार के संयुक्त सचिव